न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर
समक्ष
श्रीमती मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4001–तीन/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–8–2013 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील चंदिया जिला उमरिया – प्रकरण कमांक 49/अ–12/2012–13

शिवकुमार पुत्र जीवनलाल अग्रवाल
ग्राम चंदिया तहसील चंदिया
जिला उमरिया मध्य प्रदेश --- आवेदक

विरूद्ध

दशरथप्रसाद पुत्र कन्हैयालाल गुप्ता
ग्राम चंदिया तहसील चंदिया
जिला उमरिया मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(श्री सुशील अग्रवाल अभिभाषक – आवेदक)
(श्री जयशंकर मिश्रा अभिभाषक – अनावेदक)

<u>आ दे श</u>

(आज दिनांक 01 – 10– 2015 को पारित)

तहसीलदार, तहसील चंदिया जिला उमरिया द्वारा प्रकरण कमांक 49/अ–12/2012–13 में पारित आदेश दि. 29.8.13 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार, तहसील चंदिया जिला उमरिया के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके स्वत्व एंव स्वामित्व की आराजी कमांक 1992 रकबा 0.19 है. के सीमांकन की मांग की। तहसीलदार, चंदिया ने प्रकरण कमांक 49/अ–12/2012–13 पंजीबद्ध किया एंव अधीक्षक, भू अभिलेख, उमरिया को सीमांकन हेतु लिखा गया। अधीक्षक भू

अभिलेख जिला उमरिया ने अनावेदक की आराजी का सीमांकन कर प्रतिवेदन दिनांक 29.7.13 प्रस्तुत किया, जिस पर किसी प्रकार की आपत्ति न आने से तहसीलदार चंदिया ने आदेश दि. 28.9.2013 पारित किया एंव अधीक्षक भू अभिलेख जिला उमरिया व्दारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को अंतिमता प्रदान की। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि अनावेदक ग्राम चंदिया स्थित भूमि सर्वे क्र. 1992 रकबा 0.19 हैक्टर का भूमिस्वामी है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 129 में प्रावधान है कि कोई भी भूमिस्वामी उसके स्वत्व एंव स्वामित्व की भूमि का सीमांकन करा सकेगा तदुपरांत सीमाचिन्ह सन्निर्मित कर सकेगा। अनावेदक के प्रार्थना पत्र पर अधीक्षक भू अभिलेख जिला उमरिया ने स्थल पर जाकर दिनांक 23.7.2013 को पैमायशी उपकरणों से अनावेदक की भूमि सीमांकित की है । पंचनामे में अंकित है कि सीमांकन करते समय आवेदक मौके पर उपस्थित रहा है किन्तु उसके व्दारा पंचनामे पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया है। अधीक्षक भू अभिलेख जिला उमरिया ने सीमांकन उपरांत दिनांक 29.7.2013 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है तथा तहसीलदार चंदिया ने प्रतिवेदन पर से दिनांक 29-8-13 को आदेश पारित किया है जब आवेदक सीमांकन के समय मौके पर मौजूद रहा है उसके व्दारा सीमांकन दिनांक 23.7.2013 से 29-8-13 की अवधि के बीच आपत्ति भी प्रस्तुत नहीं की है जिसके कारण अधीक्षक भू अभिलेख उमरिया व्दारा किये गये

सीमांकन में किसी प्रकार का दोष नहीं है और इन्हीं कारणों से तहसीलदार, तहसील चंदिया जिला उमरिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 49/अ-12/2012-13 में पारित आदेश दि. 29.8.13 हस्तक्षेप योग्य नहीं है। जहां तक सीमांकन से आवेदक की भूमि पर विपरीत असर होने का प्रश्न है? आवेदक स्वयं् की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। फलतः तहसीलदार, तहसील चंदिया जिला उमरिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 49/अ-12/2012-13 में पारित आदेश दि. 29.8.13 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है।

(श्रीमती मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर